

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

1829

बनाम

दिनांक - 30.7.19
अप्रार्थीगण

क्रमांक रीडर/2019/

प्रार्थीगण

1 मूलाराम 2 खेताराम 3 पुरखाराम
पिसरान निम्बाराम जाति सुथार निवासी
डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील
व जिला बाड़मेर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी वावत
राजस्व आवेदन संख्या :- 204/2019

1 प्रागाराम 2 वालाराम 3 वागाराम पिसरान
डूंगाराराम वगैराह जाति सुथार निवासी
सांगाणा कुआ, बेरीवाला तला तहसील व
जिला बाड़मेर।

दिनांक- 26.07.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांगाणा कुआ पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 964/636 रकबा 39.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 30.7.19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1830 - 1832
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मूलाराम पुत्र निम्बाराम वगैराह जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी प्रागाराम पुत्र डूंगाराराम वगैराह जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर